

राजस्थान सरकार



## रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक

20/जयपुर/92-१७३

यह प्रमाणित किया जाता है कि माई ऑन स्कूल रेजुकेशन

तोतायटी, जयपुर जिला जयपुर का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक एक माह माई सन् एक हजार नौ सौ बिरानुदे को

जयपुर में दिया गया।

महेन्द्र सिंह राठौड़  
जि.सि.सं.सं.सं.

राजकीय मुद्रणालय, उदयपुर।

Truecopy  
Chief Registrar  
JAIPUR